राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/465

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना-पत्र	289/24	18/12/24 निर्णय स्वीकार	निर्णय 8/1/25 (8/1/25)	7/1/25 8/1/25

अनवान

श्री मनोज कुमार पुत्र कैलाशचन्द श्री अब्दुल गनी पुत्र मेहन्दू

निवासी धोरा नयागांव निवासी बिजोलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री R.D. श्री ....

FORM NO. III
फर्द अहकम
नियम 26

अज न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलिया जिला भीलवाड़ा**

मनोज .... बनाम .... अब्दुल गनी ....

किस्म मुकदमा धारा 111-128 नम्बर 289 सन **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/12/24	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जाँच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र विपक्षी/विपक्षीगणों को जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 07/01/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	
7/1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 8/1/25 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
8/1/25	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी को 3 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा सत्यमेव जयते	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 289/24 तारीख 18/12/24

मनोज कुमार पुत्र कैलाशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी छोटा नयागांव, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

...........प्रार्थी

बनाम

अब्दूल गनी पुत्र महेन्दू जाति हैला उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

...........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 08/01/2025

प्रार्थना पत्र में **मनोज कुमार पुत्र कैलाशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी छोटा नयागांव, तहसील** बिजौलियां **जिला भीलवाडा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा** किशनपुरिया **पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा में स्थित खाता संख्या 116 पर अंकित आराजी संख्या 434/177 रकबा 0.3237 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 123 पर अंकित आराजी संख्या 433/177 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा में स्थित खाता संख्या 116 पर अंकित आराजी संख्या 434/177 रकबा 0.3237 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 123 पर अंकित आराजी संख्या 433/177 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 289/24

दर्ज तारीख 18/12/24
फैसला ता. 8/1/25

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....289........ / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

मनोज कुमार पुत्र कैलाशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी छोटा नयागांव, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

अब्दूल गनी पुत्र महेन्दू जाति हैला उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा में स्थित खाता संख्या 116 पर अंकित आराजी संख्या 434/177 रकबा 0.3237 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 123 पर अंकित आराजी संख्या 433/177 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा